रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section—Sub-section 3 (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1996/पौष 10, 1918
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1996/PAUSA 10, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1996

सा. का. नि. 596(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 तथा सहपठित धारा 124 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन की न्यासी परिषद ने निम्नलिखित विनियमावली बनाई है, यथा:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 1996 है।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू होगी।

2. इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के क्रमांक 2 के सभी कालम निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	उप-संरक्षक	1	रु० 8500-300-10600	1	45	आवश्यक:- 1. विदेशगामी जलयानों के मास्टर के रूप में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र अथवा इसके समतुल्य प्रमाण पत्र 2. समुद्र गामी जलयानों के मार्ग दर्शन/नौपरिवहन का 12 वर्ष का अनुभव वांछनीय: सरकार मान्य संस्था से प्रबंधन में स्नातक अथवा उपाधि पत्र

(8)	(9)	(10)	(11)
योग्यता -हां आयु -नहीं	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण। अगर ये दोनों न हों तो सीधी भर्ती से पद भरा जाएगा।	पदोन्नति: वह व्यक्ति जो 3 वर्ष से वरिष्ठ गोदी अधिकारी हो तथा वैसा न होने पर वह व्यक्ति जो 5 वर्ष से गोदी अधिकारी हो। स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: वह व्यक्ति जो समान पद पर हो अथवा वह व्यक्ति जो वरिष्ठ गोदी अधिकारी के समान पद पर 3 वर्ष से हो या गोदी अधिकारी के समान पद पर 5 वर्ष से कार्यरत हो। (प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी)	2 वर्ष

पाद टिप्पणी : 1. प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दिनांक 14 जुलाई, 1993 को सा. का. नि. सं. 512 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी।

2. प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 29-3-96 को सा. का. नि. सं. 155 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था।

[फा. सं पी . आर.-12012/6/96-पी.ई. 1]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPIRT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1996

G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) 2nd Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following Regulations, viz.

1. Short title and commencement:

(i) These Tegulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) 2nd amendment Regulations, 1996.

(ii) They shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the schedule attached to these Regulations entries in all columns against Sr. No. 2 shall be substituted as follows:—

1	2	3	4	5	6	7
2	Dy. conservator	1	Rs. 8500-300-10600	1	45 yrs.	Essential : 1. A certificate of competency as Master of Foreign Going Ships issued by MOST or equivalent cerritficate. 2. 12 years experience in pilotage/ navigation of sea-going vessels. Desirable: Degree/Diploma in Management from an Institute recognised by a Govt.

8	9	10	11	
Qualification—Yes Age—No	promotion/Transfer on deputation/ transfer failing both by direct recruitment		Promotion A person holding a post of Sr. Dock Master for a period of 3 years failing which Dock Master for a period of 5 years. Transfer/Transfer on deputation : A person holding analogous post or a post analogous to Sr. Dock Master for a period of 3 years or a post analogous to Dock Master for a period of 5 years. (Normal deputation period will be three years)	2 years

[F. No. PR-12012/6/96-PE-1]
K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note:—1. Principal Regulations were puplished in the Gazette of India dated 14th July, 1993 vide GSR No. 512 (E).
2. 1st Amendment was published in the Gazette of India dated 29-3-96 vide GSR No. 155.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996